उपसंहार

- मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय खराब योजना थी और ई.एस.आई.सी. द्वारा कोई विधिवत सचेतना नहीं बरती गई थी।
- ई.एस.आई.सी. अस्पतालों/औषधालयों में मेडिकल/पैरा मेडिकल कार्मिकों की कमियों को पूरा करने के अन्य विकल्पों की तुलना में, मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवहार्यता निर्धारित करने का कोई संकल्पना पेपर/व्यवहार्यता अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट नहीं थी।
- मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए चयनित स्थानों की संख्या, चिकित्सा कार्मिकों की आवश्यकता के अनुपातहीन थी। डाक्टरों तथा अन्य पैरा मेडिकल स्टॉफ की भावी आवश्यकता के पूरा करने हेतु आवश्यक कॉलेजों की संख्या को निर्धारित करने हेतू आवश्यक सचेतना, यदि कोई दिखाई गई थी, उपलब्ध नही थी।
- ई.एस.आई.सी. द्वारा स्थानों का चयन मनमाने ढंग तरीके से किया गया था तथा उन स्थानो को जिनमें कोई विद्यमान अस्पताल/औषधालय मेडिकल कालेजो के खोलने हेतु प्रत्यक्ष आवश्यकता ई.एस.आई.सी मापदण्डों के अनुसार, नही थी को भी चुन लिया गया था।
- वास्तुशिल्पीय/निर्माण कार्य, बिना किसी न्यायपूर्णता/कारणो के मनोनित आधार पर किया गया था।
- वस्तुशिल्पीय सलाहकारो से अनुबन्धों के खण्डो में समानता ने होने के कारण ई.एस.आई.सी. ₹24.68 करोड़ की अतिरिक्त सलाहकार फीस का भुगतान करने का उत्तरदायी था।
- अधिकांश चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं में समय तथा लागत अधिक हो गये थे।
- केवल 14 प्रतिशत सफल पीजीआई छात्रो ने ई.एस.आई.सी अस्पताल में प्रवेश किया, जिसने दर्शाया की खाली पदों को भरने के लिए मेडिकल कालेज खोलने की रणनीति विफल हो गई।

- इस उद्यम से बाहर निकलने का निर्णय केवल छुपी हुई हानियों और आगे की देयताओं को सीमित करने का प्रयास था।

ई.एस.आई.सी. को अपने प्रमुख कार्यकलापों पर केन्द्रित होना चाहिए और विस्तृत तथा गहन विश्लेषण किए बिना ऐसी पूंजीगत और आवर्ती लागतों वाली परियोजनाएं आरम्भ नहीं की जानी चाहिए।

नई दिल्ली **(मुकेश प्रसाद सिंह)**
दिनांक: 19 नवम्बर 2015 **महानिदेशक लेखापरीक्षा**
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 20 नवम्बर 2015 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**